न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 34/2019 दायर दिनाँक 03.04.2019

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. जरिना पुत्री कमालु पत्नी रूरतम जाति देशवाली निवासी शेखाबासनी 2. मोबिना पुत्र कमालु पत्नी अब्दुल मजीद जाति देशवाली निवासी खातियाबासनी 3. सलमा पुत्री कमालु पत्नी अयूब जाति देशवाली निवासी लाडाबास 4. असरफ पुत्र अब्दुला जाति देशवाली निवासी खातियाबासनी 5. सायरा पत्नी कमालु जाति देशवाली निवासी बालिया 6. अब्दुल अजीज पुत्र कमालु जाति देशवाली निवासी बालियां तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कल्लू पुत्र कमालु जाति देशवाली निवासी बालियां 2. अब्दुल सलाम पुत्र युसुफ 3. मोहम्मद एहसान पुत्र युसुफ 4. रमजान पुत्र युसुफ 5. जलालुदीन पुत्र युसुफ 6. आसिया बानों पुत्री युसुफ 7. समीना बानों पुत्र युसुफ 8. नसीम बानों पुत्री युसुफ 9. आमना बानों पत्नी युसुफ समस्त जाति देशवाली निवासी बालियां तहसील डीडवाना 10. असलम पुत्र अब्दुला 11. वासी पुत्र अदुला समस्त जाति देशवाली निवासी बालियां 12. शौकत पुत्र जमाल 13. ग्नी पुत्र जमाल 14. समाउ पुत्र जमाल 15. रसीद पुत्र जमाल 16. मुन्शी पुत्र जमाल समस्त जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 212, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील, वादीगण
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 09.12.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि संयुक्त एवं अविभाजित पैतृक कृषि भूमि खसरा सं0 298 रकबा 16.11 बीघा व खसरा सं0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 34/2019
दायर दिनाँक 03.04.2019, निर्णय दिनाँक 09.12.2019
जरीना बनाम् कल्लू, वगैरा।

299 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सं0 653 रकबा 10.16 बीघा, खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा, खसरा सं0 680 रकबा 01.05 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 42 बीघा वाके ग्राम बालिया में अवस्थित है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 स्व0 कालू वारिसान है। इसी प्रकार प्रर्थी संख्या 04, अप्रार्थी सं0 10 व 11 कमालू की पुत्री इन्शाअल्लाह के वारिसान है। इन्शाअल्लाह का स्वर्गवास हो चुका है। वंशावली वाद के साथ पेश है। अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू कृषि भूमि खसरा सं0 673 व 680 में बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही निर्माण कार्य अपने हिस्से से अधिक भाग में नींवें खोदकर चालू कर दिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू खां ऐसा करने का किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 09 अपने हिस्से में खसरा सं0 673 व 680 में मकान बनाकर आवास व निवास करते आ रहे है। बाकी भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के कब्जे काश्त में है। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के हिस्से की भूमि को हडपने की कुचेष्टा में है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां संयुक्त व अविभाजित है जिनका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 प्रार्थीगण के कमजोरी का फायदा उठाकर कृषि भूमि खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा व खसरा सं0 680 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पर बलात कब्जा करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अतः खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा व खसरा सं0 680 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा की भूमि में किसी प्रकार से कच्चा व पक्का निर्माण करने, हस्तान्तरित व प्रभारित करने, विक्रय करने से व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने में सदैव से बाज रहे इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 09 को प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे कृषि भूमि खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा व खसरा सं0 680 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करें तथा ना किसी भी प्रकार से पक्का व कच्चा निर्माण करने तथा हस्तान्तरण व विक्रय स्वयं करें तथा ना ही अपने किसी ऐजेन्ट से करावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 34/2019
दायर दिनाँक 03.04.2019, निर्णय दिनाँक 09.12.2019
जरीना बनाम् कल्लू, वगैरा।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02, 06 ता 09 व 13 की और से जवाब पेश हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। खसरा सं0 298 रकबा 16.11 बीघा व खसरा सं0 299 रकबा 0.08 बीघा, खसरा सं0 653 रकबा 10.16 बीघा, खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा, खसरा सं0 680 रकबा 01.05 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 42 बीघा वाके ग्राम बालिया में अवस्थित है। उक्त पद में वर्णित यह तथ्य मिथ्या है कि उक्त सम्पति का बंटवारा नहीं हो रखा हो परन्तु उक्त सम्पति का मौखिक बंटवारा हो रखा है एवं इसके संबंध में लिखावट हो रखी है। वकील प्रार्थी ने सम्पूर्ण वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त खेत में पूर्व में बंटवारे में प्रार्थीगण को किसी प्रकार कोई बंट नहीं था, परन्तु फिर भी आपसी रजामंदी से भाई होने के नाते खसरा सं0 680 व 673 में से 01 बीघा भूमि युसुफ द्वारा एवं 15 बिस्वा भूमि समाउ, शोकत, गनी, मुन्शी, रसीद द्वारा दी गई है एवं प्रार्थीगण के पास उक्त खेतों में उनके हक अधिकार से अधिक भूमि दी गई है। जिसमें से प्रतिवादी सं0 01 के पास 12 बिस्वा भूमि है एवं प्रार्थीगण के पास 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 09 के पास कुल 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि बंट में है, 10 बिस्वा भूमि संयुक्त रूप से रास्ते में रखी गई है शेष भूमि अलग–अलग रूप से बंट में रखी गई है। इसके अलावा खसरा संख्या 298, 299, 653, 780, 821, 702, 736, 738, 758 भी अन्य कई खसरान है। जिनके संबंध में सम्पूर्ण तथ्या छिपाकर उक्त वाद महज जवाबदेताओं को तंग परेशान करने की नियत से किया गया है एवं सम्पूर्ण खसरान के बिना उक्त प्रार्थना पत्र का कोई आधार नहीं है। जो प्रथम दृष्टयाही खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के पास केवल मात्र निवास करने के लिए कच्चा मकान है इसके अलावा अप्रार्थी के पास निवास का किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक मजदुर पेशा व्यक्ति है जो भोले स्वभाव का व्यक्ति है। जिसे प्रार्थीगण अब्दुल अजीज के प्रभाव में आकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र दो खसरों पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन गलत है। केवल मात्र जवाबदेताओं को तंग

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 34/2019
दायर दिनाँक 03.04.2019, निर्णय दिनाँक 09.12.2019
जरीना बनाम् कल्लू, वगैरा।

परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। जवाबदेता संख्या 01 अपने हक अधिकार व मौखिक में आये भूमि में ही कार्य कर रहा था एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता व अन्य खातेदारों के बीच लिखित बंटवारा भी किया हुआ है। जिसमें कमालू एवं प्रार्थी संख्या 06 अब्दुल अजीज के हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी भी है।

खसरा नम्बर 680 व 673 में सभी कब्जा सुद व्यक्तियों की दिवारे व मकान बनाये हुए है तथा रास्ता छोडा हुआ है तथा उक्त मकान आज से 25 वर्ष पहले के बने हुए है। जहां पर बिजली पानी का कनेक्शन भी लिया गया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू कृषि भूमि खसरा सं0 673 व 680 में बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही निर्माण कार्य अपने हिस्से से अधिक भाग में नींवें खोदकर चालू कर दिया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू खां ऐसा करने का किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 09 अपने हिस्से में खसरा सं0 673 व 680 में मकान बनाकर आवास व निवास करते आ रहे है। बाकी भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के कब्जे काश्त में है। जबकि अप्रार्थी संख्या 02 बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के हिस्से की भूमि को हडपने की कुचेष्टा में है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां संयुक्त व अविभाजित है जिनका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 प्रार्थीगण के कमजोरी का फायदा उठाकर कृषि भूमि खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा व खसरा सं0 680 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पर बलात कब्जा करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अतः खसरा सं0 673 रकबा 13 बीघा व खसरा सं0 680 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा की भूमि में किसी प्रकार से कच्चा व पक्का निर्माण करने, हस्तान्तरित व प्रभारित करने, विक्रय करने से व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने में सदैव से बाज रहे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द करावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 34/2019
दायर दिनाँक 03.04.2019, निर्णय दिनाँक 09.12.2019
जरीना बनाम् कल्लू, वगैरा।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 के पास केवल मात्र निवास करने के लिए कच्चा मकान है इसके अलावा अप्रार्थी के पास निवास का किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र दो खसरों पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन गलत है। केवल मात्र जवाबदेताओं को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। जवाबदेता संख्या 01 अपने हक अधिकार व मौखिक में आये भूमि में ही कार्य कर रहा था एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता व अन्य खातेदारों के बीच लिखित बंटवारा भी किया हुआ है। जिसमें कमालू एवं प्रार्थी संख्या 06 अब्दुल अजीज के हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी भी है।

खसरा नम्बर 680 व 673 में सभी कब्जा सुद व्यक्तियों की दिवारे व मकान बनाये हुए है तथा रास्ता छोडा हुआ है तथा उक्त मकान आज से 25 वर्ष पहले के बने हुए है। जहां पर बिजली पानी का कनेक्शन भी लिया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का सादर आदेश फरमावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब के कलम संख्या 05 में अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू पुत्र कमालू का वादग्रस्त सामलाती खाते की कुल संयुक्त भूमि में 12 बिसवा भूमि पर कब्जा काश्त बताया है जो कि अप्रार्थी संख्या 01 के हक हिस्से से कमतर प्रतीत होती है।

अप्रार्थी संख्या 01 कल्लू पुत्र कमालू ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. खेत खसरा संख्या 680 व 673 का सह खातेदार हूं एवं उक्त खेत में मेरा राजस्व रेकर्ड व मौके पर हक हिस्सा है।
2. मैं अपने हक अधिकार भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करूंगा एवं 500 वर्गमीटर से कम भूमि पर निर्माण कार्य होने से उक्त भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ की आवश्यकता नहीं है एवं मेरा द्वारा निर्माण वाला सम्पति यदि वादीगण के बंट में आती है तो व उसके हक अधिकार की होगी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र, संख्या 34/2019
दायर दिनाँक 03.04.2019, निर्णय दिनाँक 09.12.2019
जरीना बनाम् कल्लू, वगैरा।

3. मेरे पास व मेरे परिवार के पास उक्त भूमि के अलावा निवास योग्य कोई उपयोगी भूमि नहीं है केवल यही भूमि है जिसमें मैं व मेरा परिवार मकान बनाकर अपना जीवन यापन कर सके।

उभय पक्ष की बहस के आधार पर, संलग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी रेकर्ड एवं अप्रार्थी सं0 01 के सशपथ बयान दिया है कि वह आवास से वंचित है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि में जिसमें वह स्वयं भी रेकोर्डेड खातेदार है में भी अपने हक हिस्से तक की भूमि में भी आवास से वंचित है व संयुक्त खातेदारी में निर्माण शुदा सम्पति बाई मिटस एण्ड बाउण्डस आधारित बंटवारें में वादीगण के बंट में आती है तो वह उसके हक अधिकार की होगी एवं 500 मीटर से अधिक का पक्का निर्माण नहीं करेगें। इस आधार पर न्यायालय वादग्रस्त आराजियात पर मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करती है।

आदेश

अतः वादग्रस्त आराजियात वाके सरहद बालिया के खसरा नम्बर 680 व 673 भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.12.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:47:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: